न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर(राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रेनू मीना, आर० ए० एस०

दावा नं० : 1/166

तारीख रज्जू : 16.09.2020

01– श्याम सुन्दर कपूर पुत्र श्री राम स्वरूप पौत्र बोनाराम, जाति खत्री, उम्र करीब 62साल, निवासी ग्राम देसूला तहसील व जिला अलवर

02– सोमनाथ कपूर पुत्र श्री राम स्वरूप पौत्र बोनाराम, जाति खत्री, उम्र 69 साल,निवासी ग्राम देसूला तहसील व जिला अलवर हाल निवासी 18/6 बी साकेत गली, ओल्ड गोविन्दपुरा, कृष्ण नगर, पूर्वी दिल्ली– 110051

–वादीगण

बनाम

01– सुभाष चन्द पुत्र श्री राम स्वरूप पौत्र बोनाराम, जाति खत्री, उम्र करीब 60 साल निवासी ग्राम देसूला तहसील व जिला अलवर

–असल प्रतिवादीगण

02– पवन कुमार पुत्र श्री महाराज मल, जाति खत्री,

03– शम्मी कपूर पुत्र श्री महाराज मल, जाति खत्री,
निवासीयान ग्राम देसूला तहसील व जिला अलवर

04– कलावती पत्नि श्री खूबराम, जाति प्रजापत, निवासी कुण्डा का बास, रूपनगर, सीकरी, तहसील नगर जिला भरतपुर

05– चन्द्रकला पत्नि श्री खेमचन्द, जाति प्रजापत,

06– धनमन्ती पत्नि श्री दौलतराम, जाति प्रजापत,

07– माया पत्नि श्री नेतराम, जाति प्रजापत,
निवासीयान ग्राम जलालपुर, तहसील नगर जिला भरतपुर

08– रामश्री पत्नि श्री भगवान सिंह, जाति प्रजापत,

09– शान्ती पत्नि रूपी, जाति प्रजापत,
निवासीयान ग्राम सीकरी, तहसील नगर जिला भरतपुर

10– सन्तोष पत्नि रामकिशन,, जाति प्रजापत, निवासी ग्राम रायबका पो०बैडम, तहसील डीग जिला भरतपुर

11– सुशीला पत्नि बलजीत सिंह, जाति प्रजापत, निवासी ग्राम जलालपुर, तहसील नगर जिला भरतपुर

–तरतीबी प्रतिवादीगण

12– राज० राज्य जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब, अलवर तहसील व जिला अलवर

–तकमीली प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा–53–188 राज० काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

–: निर्णय :–

कलक्टर
वर

दिनांक: 05.08.2021

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 राज0 काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 1121 रकबा 0.17 है0, 1125 रकबा 0.02 है0, 1263 रकबा 0.15

Scanned by CamScanner

है0, 565 रकबा 0.63 है0, 898 रकबा 0.01 है0, 899 रकबा 0.10 है0 सालिम कुल किता 06 रकबा 1.08 है0, खसरा नम्बर 1120 रकबा 0.24 है0, 1122 रकबा 0.25 है0 कुल किता 02 रकबा 0.49 है0 में 204917/292000 अर्थात 0.34 है0.15 तथा खसरा नम्बर 1634 रकबा 0.12 है0 में 1/4 हिस्सा अर्थात 0.03 है0 वाके ग्राम देसूला तहसील अलवर में स्थित है जो वर्तमान में विवादित है। विवादित आराजी मृतक बोनाराम, जो पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थी थे, उन्हे परिवार के जीवनयापन हेतु 16 बीधा 3 बिस्वा आराजी का आंवटन हुआ था व उनके पुत्र रामस्वरूप को अलग से आराजी का आंवटन हुआ था जिसका वादीगण व असल प्रतिवादी ने अपने हिस्से मुताबिक बेचान कर दिय था। जिसमें कुछ आराजी वादीगण के हिस्से में अधिक थी। आंवटन शुद्वा कुल आराजी में 1/2 हिस्सा महाराज मल का था व 1/2 हिस्सा रामस्वरूप का था। महाराज मल ने अपना हिस्सा ले लिया। शेष आराजी रामस्वरूप के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी रही। रामस्वरूप के 1/2 हिस्से में आई हुई आराजी का आपसी बॅटवारा वादीगण व असल प्रतिवादी ने आपसी सहमति से मौखिक रूप से कर लिया था तथा जिसमें से कुछ आराजी का बेचान भी किया जा चुका है तथा वादीगण व असल प्रतिवादी के पिता की अलग से आंवटन आराजी में वादीगण का अधिक हिस्सा था। इसलिए आराजी में उसी अनुपात में कम हिस्सा आया है। वादीगण व असल प्रतिवादी की बीच निम्न प्रकार से बंटवारा हुआ था–

(क) **सुभाषचंद कपूर असल प्रतिवादी सं० 1 का हिस्साः–** आराजी खसरा नम्बर 1121 रकबा 0.17 है0, 1125 रकबा 0.02 है0, 565 रकबा 0.23 है0, 898 रकबा 0.01 है0, 899 रकबा 0.10 है0 1120 व 1122 रकबा 0.23 है0 व 1634 रकबा 0.01 है0।

(ख) **श्यामसुन्दर कपूर वादी सं० 1 का हिस्साः–** आराजी खसरा नम्बर 1263 रकबा 0.15 है0, 565 रकबा 0.19 है0, 1120 व 1122 में 0.11 है0, व 1634 में .01 है0।

(ग) **सोमनाथ कपूर वादी सं० 2 का हिस्साः–** आराजी खसरा नम्बर 565 रकबा 0.21 है0, व 1634 रकबा 0.01 है0।

उक्त बंटवारा के अनुसार ही वादीगण व असल प्रतिवादी मौके पर काबिज है और काश्त करते आ रहे है। उक्त आराजी के अलावा दीगर आराजी रामस्वरूप की आवंटनशुद्वा आराजी थीं वादीगण के हिस्से में प्रतिवादी के हिस्से के अनुपात में जितनी आराज कम आई थी, उसकी कीमत वादीगण प्राप्त कर चुके है। उक्त बंटवारा जुबानी रूप से हुआ था। इसलिए उक्त बंटवारे का अमल राजस्व अभिलेख में नही हुआ। इसलिए विवादित आराजी का प्रतिवादी संख्या 1 ने बराय बदयांति तन्हा अपने नाम ही दर्ज करा लिया। वादीगण ने असल प्रतिवादी संख्या 1 से कई बार विवादित आराजी को उक्त बंटवारा अनुसार कागजात माल में तकसीम कराने हेतु कहा किन्तु उसने कोई कार्यवाही नही की तथा दिनांक 29.0902019 को प्रतिवादी संख्या 1 ने विवादित आराजी को तकसीम कराने से कतई इंकार कर दिया व विवादित आरजी को दीगर लोगों को रहन बैय हिबा आदि के मुन्तकिल करने की धमकी दी जिस कारण यह दावा पेश किया गया। विवादित आराजीयात में से आराजी नं० 1120 व 1122 तथा ख०न० 1634 में सहकाश्तकार भी हैं, जो आवश्यक पक्षकार मुकदमा हैं, जिनसे वादीगण का कोई विवाद नही है। इसलिए सहकाश्तकारों को वाद में तरतीबी प्रतिवादीगण बनया गया हे। श्रीमान, लैण्ड होल्डर प्रतिवादी संख्या 12 के विरूद्व भी वाद में कोई अनुतोष नही चाहा है। इसलिए उन्हे दावा दायर करने से पूर्व कोई नोटिस देना आवश्यक नही है। अतः वाद वादीगण को उनके हिस्से में आई आराजी मुताबिक मौखिक बंटवारा का काबिज खातेदार काश्तकार व वादीगण व असल प्रतिवादी का अलग–अलग खाता व लगान कायम किया जाकर वाद वादीगण डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादीगण 2 लगा0 11 हाजिर अदालत हुऐ। वादीगण व असल प्रतिवादी सं० 1 द्वारा राजीनामा पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार हैः– पक्षकारान आपस में सगे भाई हैं। जिनके मध्य लोक अदालत की भावना से बाहमी

Scanned by CamScanner

राजीनामा हो गया है। मुताबिक राजीनामा श्याम सुन्दर वादी संख्या 1 के आराजी खसरा नम्बर 1263 रकबा 15 ऐयर, 565 रकबा 16.05 ऐयर, 1120 व 1122 जो मौके पर मिले हुए हैं, में बतरफ पश्चिम का 11 ऐयर, जिधर श्याम सुन्दर की अन्य आराजी खसरा नं० 882 है, व 1634 में 1 ऐयर खातेदारी में है और रहेगी। वादी संख्या 2 सोमनाथ खसरा नं० 565 रकबा 21 ऐयर, 1634 रकबा 1 ऐयर तथा 1125 रकबा 2 ऐयर का खातेदार है और रहेगा। प्रतिवादी सं०1 सुभाष चन्द खसरा नम्बर 1121 रकबा 17 ऐयर, 565 रकबा 25.05 ऐयर, 898 रकबा 1 ऐयर, 899 रकबा 10 ऐयर, 1120 व 1122 में से 23 ऐयर बतरफ पूर्व का व 1634 में 1 ऐयर की खातेदारी की है और उसी की रहेगी। तरतीबी प्रतिवादीगण को उपरोक्त आराजी को तकसीम कराये जाने में किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त राजीनामा से वादीगण व असल प्रतिवादी स्वंय व उनके वारिसान भी पूरी तरह से पाबन्द रहेंगे तथा एक–दूसरे की हिस्से की आराजी से कोई संबंध सरोकार नही रहेगा। राजीनामा तस्दीक किया गया।

उभय पक्षो के वकीलों की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में कहा है कि पक्षकरान् सगे भाई है। पक्षकरान् के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है। जो पत्रावली में शामिल है। मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किया जाता है तो किसी को कोई आपत्ति नही है। अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किया जावे। वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में कहा है कि पक्षकरान् सगे भाई है। पक्षकरान् के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है। जो पत्रावली में शामिल है। तरतीबी प्रतिवादीगण को भी कोई आपत्ति नही है। मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किया जावे।

पत्रावली व राजस्व रिकॉर्ड की नकलातों एव राजीनामा का आघोपान्त अवलोकन किया गया। उभयपक्षों के अभिभाषकगणों की बहस का मनन किया गया तो अदालत इस निष्कर्ष पर पहुॅची है कि विवादित आराजी मृतक बोनाराम, जो पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थी को 16 बीघा 3 बिस्वा आराजी का आंवटन हुआ था मृतक बोनाराम का विरासत नामान्तरकरण सं० 214 असल प्रतिवादी सुभाषचन्द के नाम ही स्वीकार किया गया जबकि श्यामसुन्दर कपूर, सोमनाथ कूपर व सुभाषचन्द कपूर तीनो सगे भाईयों के नाम दर्ज होना चाहिऐ था। पक्षकारान् सगे भाई है पक्षकरान् के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है। वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पॅहुचते है कि वादी का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि विवादित आराजी में हाल राजस्व रिकार्ड से असल प्रतिवादी सुभाषचन्द का नाम कलमजन किया जाता है तथा वादी संख्या 1 श्याम सुन्दर को आराजी खसरा नम्बर 1263 रकबा 15 ऐयर, 565 रकबा 16.05 ऐयर, 1120 व 1122 जो मौके पर मिले हुए हैं, में बतरफ पश्चिम का 11 ऐयर, जिधर श्याम सुन्दर की अन्य आराजी खसरा नं० 882 है, व 1634 में 1 ऐयर का व वादी संख्या 2 सोमनाथ को खसरा नं० 565 रकबा 21 ऐयर, 1634 रकबा 1 ऐयर तथा 1125 रकबा 2 ऐयर का तथा असल प्रतिवादी सं०1 सुभाष चन्द को खसरा नम्बर 1121 रकबा 17 ऐयर, 565 रकबा 25.05 ऐयर, 898 रकबा 1 ऐयर, 899 रकबा 10 ऐयर, 1120 व 1122 में से 23 ऐयर बतरफ पूर्व का व 1634 में 1 ऐयर का वाके ग्राम देसूला तहसील व जिला अलवर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त अनुसार खाता अलग–अलग कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रेनू मीना)
सहायक कलक्टर
अलवर

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री प्रारम्भिक
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर(राज0)
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रेनू मीना, आर०ए०एस०

उनवान

01– श्याम सुन्दर कपूर पुत्र श्री राम स्वरूप पौत्र बोनाराम, जाति खत्री, उम्र करीब 62साल, निवासी ग्राम देसूला तहसील व जिला अलवर

02– सोमनाथ कपूर पुत्र श्री राम स्वरूप पौत्र बोनाराम, जाति खत्री, उम्र 69 साल,निवासी ग्राम देसूला तहसील व जिला अलवर हाल निवासी 18/6 बी साकेत गली, ओल्ड गोविन्दपुरा, कृष्ण नगर, पूर्वी दिल्ली– 110051

–वादीगण

बनाम

01– सुभाष चन्द पुत्र श्री राम स्वरूप पौत्र बोनाराम, जाति खत्री, उम्र करीब 60 साल निवासी ग्राम देसूला तहसील व जिला अलवर

–असल प्रतिवादीगण

02– पवन कुमार पुत्र श्री महाराज मल, जाति खत्री,

03– शम्मी कपूर पुत्र श्री महाराज मल, जाति खत्री, निवासीयान ग्राम देसूला तहसील व जिला अलवर

04– कलावती पत्नि श्री खूबराम, जाति प्रजापत, निवासी कुण्डा का बास, रूपनगर, सीकरी, तहसील नगर जिला भरतपुर

05– चन्द्रकला पत्नि श्री खेमचन्द, जाति प्रजापत,

06– धनमन्ती पत्नि श्री दौलतराम, जाति प्रजापत,

07– माया पत्नि श्री नेतराम, जाति प्रजापत, निवासीयान ग्राम जलालपुर, तहसील नगर जिला भरतपुर

08– रामश्री पत्नि श्री भगवान सिंह, जाति प्रजापत,

09– शान्ती पत्नि रूपी, जाति प्रजापत, निवासीयान ग्राम सीकरी, तहसील नगर जिला भरतपुर

10– सन्तोष पत्नि रामकिशन,, जाति प्रजापत, निवासी ग्राम रायबका पो० बैडम, तहसील डीग जिला भरतपुर

11– सुशीला पत्नि बलजीत सिंह, जाति प्रजापत, निवासी ग्राम जलालपुर, तहसील नगर जिला भरतपुर

–तरतीबी प्रतिवादीगण

12– राज० राज्य जर्ये लैण्ड होल्डर तहसीलदार साहब, अलवर तहसील व जिला अलवर

–तकमीली प्रतिवादी

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner

दावा बाबत् धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा नम्बर :– 1/166 तारीख रज्जू 16.09.2020
निर्णय दिनांक :– 05.08.2021

वादी की ओर से श्री जगदीश सतीजा, अधिवक्ता व प्रतिवादी की ओर से श्री रामदयाल अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 05.08.2021 को सहायक कलक्टर, अलवर के समुख अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि विवादित आराजी में हाल राजस्व रिकार्ड से असल प्रतिवादी सुभाषचन्द का नाम कलमजन किया जाता है तथा वादी संख्या 1 श्याम सुन्दर को आराजी खसरा नम्बर 1263 रकबा 15 ऐयर, 565 रकबा 16.05 ऐयर, 1120 व 1122 जो मौके पर मिले हुए हैं, में बतरफ पश्चिम का 11 ऐयर, जिधर श्याम सुन्दर की अन्य आराजी खसरा नं० 882 है, व 1634 में 1 ऐयर का व वादी संख्या 2 सोमनाथ को खसरा नं० 565 रकबा 21 ऐयर, 1634 रकबा 1 ऐयर तथा 1125 रकबा 2 ऐयर का तथा असल प्रतिवादी सं०1 सुभाष चन्द को खसरा नम्बर 1121 रकबा 17 ऐयर, 565 रकबा 25.05 ऐयर, 898 रकबा 1 ऐयर, 899 रकबा 10 ऐयर, 1120 व 1122 में से 23 ऐयर बतरफ पूर्व का व 1634 में 1 ऐयर का वाके ग्राम देसूला तहसील व जिला अलवर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त अनुसार खाता अलग–अलग कायम किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आज तारीख 05.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) अलवर (राज०) सत्यमेव जयते

(रेनू मीना)
सहायक कलक्टर
अलवर

सहायक कलक्टर अलवर

Scanned by CamScanner